

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04122024-259144

SG-DL-E-04122024-259144

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxxअसाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/अग्रहायण 12, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 283
No. 317]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2024/AGRAHAYANA 12, 1946	[N. C. T. D. No. 283

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2024

फा. सं. 1/31/1132/एलसी/स्था0/भर्ती नियम/निदेशक (आईएसएच)/2022/4691.94.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना फा0 सं0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सरकार की दिनांक 08.10.1997 की अधिसूचना संख्या फा0 3(39)/I/96-एलसी/स्था0/4600 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इन नियमों को "निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य)" भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
- ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा, तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव :-** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या किसी अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	: निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य)
2.	पदों की संख्या	: 01* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह-क
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है/गैर-चयन पद	: चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	: लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: कोई परिवीक्षा अवधि नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	: 100 प्रतिशत पदोन्नति
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	: पदोन्नति:- ग्रेड में पाँच (05) वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रुपये 56100-177500/-) में उप-निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य) तथा उन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। मानक टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्त कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता

		सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	<p>विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ)</p> <p>1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) — अध्यक्ष</p> <p>2. संबंधित प्रशासनिक सचिव — सदस्य</p> <p>3. विशेष/अपर सचिव (शह0 वि0) — सदस्य</p> <p>टीप :- यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विजय चांदना, उपायुक्त, श्रम (प्रशा0)

LABOUR DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 2nd December, 2024

F.1/31/1132/LC/Estt./Rectt. Rules/Dir.(ISH)/2022/4691-94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of this Government's Notification No. F.3(39)/1/96-LC/ESTT/4600 dated 08.10.1997 except as respects, things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Director (Industrial Safety & Health)** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- Short title and commencement:**
 - These rules may be called "Director (Industrial Safety & Health)" Recruitment Rules, 2024.
 - They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.** - The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be a specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.:** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.
- Disqualifications:** No person,
 - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	Director (Industrial Safety & Health)
2.	No. of Posts	1* (2024) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group-A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix
5.	Whether selection post/ non- selection post	Selection Post
6.	Age limit for direct recruits	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of Probation, if any	No probation
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% Promotion
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion: - Deputy Director (Industrial Safety & Health) in Level – 10 (Rs. 56100-177500) of Pay Matrix with five (05) years regular service in the grade having successfully completed training of at least 2 weeks, as prescribed by the Competent Authority.</p> <p>Standard Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully complete their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>
12.	If a Departmental Promotion Committee, exists, what is its composition	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion):</p> <p>1. Addl. Chief Secretary (Home) /Pr. Secretary (Home) - Chairperson</p> <p>2. Administrative Secretary concerned - Member</p> <p>3. Special/Additional Secretary (UD) - Member</p>

		Note: Senior Most member of the Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with the UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VIJAY CHANDNA, Dy. Labour Commissioner (Admn.)